

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 557]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1976/पौष 4, 1898

No. 557]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1976/PAUSA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd December 1976

S.O. 832(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 25th December, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Ballia Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Ballia in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 4-80/76-AC (1)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1976

का० प्रा० 832(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

के अनुसूच पर 25 दिसम्बर, 1976 से उत्तर प्रदेश राज्य में 'बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ०-4-89/76 ए सी (I)]

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Ballia Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Ballia as the place where Ballia Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F.4-89/76-AC(II).1]

का० प्रा० 833(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के परामर्श से बलिया को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-89/76-ए सी (II)]

New Delhi, the 25th December 1976

S.O. 834(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Ballia Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-89/76-AC(III)]

K. P. A. MENON, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 1976

का० प्रा० 834(प्र).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-89/76-ए सी (III)]

के० पि० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development, Bombay)

NOTIFICATION

Bombay, the 25th December 1976

S.O. 835(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia.

[No. DBOD. 146/INCL/C. 102/76]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग बम्बई)

अधिसूचना

बम्बई, 25 दिसम्बर, 1976

क्रा० प्रा० 835(प्र).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 का उपधारा (6) के खंड (क) के प्रचुरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक का समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया ।

[सं० डी बी ओ डी 146/आई एन सी एल/सी 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

